NT>

12.43 hrs.

Title: Notice of Question of privilege given by Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Member of Parliament on 17 May, 2002, against the Minister of State for Planning and the then Minister of Finance and Rural Development for allegedly misleading the House regarding financial package to Bihar.(Notice disallowed)

MR. SPEAKER: I go to 'Zero Hour' now. Dr. Nitish Sengupta.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to bring to the notice of this House and, through you, to the Government ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Dr. Nitish Sengupta, I will have to give preference to a privilege notice given by Dr. Raghuvansh Prasad Singh. Please take your seat now.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you are aware that I have already disallowed your privilege notice. But you can make your submission now.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, दिनांक 17.05.2002 को मैने तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा; तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, श्री वेंकैयानायडू और योजना मंत्री, श्रीमति वसुंधरा राजे के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया था।

महोदय, तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के मुताबिक पंचायती राज और नगर पालिकओं के संबंध में जो वित्त आयोग द्वारा राशि बिहार राज्य को देनी थी, सदन को गुमराह करते हुए कहा कि आयोग ने ही कहा था कि जो राज्य चुनाव नहीं करायेंगे, वह रुपया उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1996-97 में बिना चुनाव के आयोग ने बिहार राज्य को रुपया दिया है। एक तथ्य हमने प्रस्तुत किया। फिर वेंकैयानायडू जी और वसुंधरा राजे जी ने सदन को मिसलीड किया और कहा कि वह रुपया लैप्स कर दिया है, जबकि आयोग ने निर्देश दिए थे कि वह राशि लैप्स नहीं करती है और उसी के मुताबिक 2000-2001 में राशि मिली थी। इस प्रकार तीनों मंत्रियों ने सदन को नोइंगली, विलफुली और डैलीब्रेटली मिसलीड किया और बिहार का 6000 करोड़ रुपया रुकवा कर रखा है। आपने कृपा की, उनसे टिप्पणी मंगाई और शोकॉज़ पूछा। हमने प्रोसीडिंग्स के साथ तथ्य प्रस्तुत किए हैं और आरोप लगाए हैं। जो उन्होंने जवाब दिया है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। पुराना गीत गा रहे हैं। उन्होंने सदन को मिसलीड किया है।

उस संबंध में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इनका शो-कॉज नोटिस संतोाजनक नहीं है, इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति में जांच-पड़ताल और कार्यवाही के लिए भेज दिया जाए। चूंकि नियम और परम्परा कहती है कि श्री वेंकैया नायडू राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो विशेषाधिकार है उसे राज्य सभा में भेज दिया जाए। नियम और परम्परा के मुताबिक सदन के जो सदस्य होते हैं, वही हाउस उसके लिए काम्पीटेंट है। इसलिए नियम, कायदा और तथ्य प्रोसिडिंग में हैं, जो इन्होंने कहा और हमने जो आरोप लगाया, तथ्य एवं सबूत दिया, अभी तक का जो प्रीसीडेंट है वह यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करते हैं, इसलिए आप उसे देख लें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाए, उसके सुपुर्द कर दिया जाए।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, Dr. Raghuvansh Prasad Singh had given a notice of privilege on 17th May, 2002 against the Minister of State for Planning and the then Ministers of Finance and Rural Development for allegedly misleading the House regarding financial package to Bihar.

I had called for the comments of the concerned Ministers on the notice of Dr. Raghuvansh Prasad Singh. I have since received the comments from the hon. Ministers.

It is well established that if any statement is made on the floor of the House by a Member or Minister which another Member believes to be untrue, incomplete or incorrect, it does not constitute a breach of privilege. In order to constitute a breach of privilege or contempt of the House, it has to be proved that the statement was not only wrong or misleading but it was made deliberately to mislead the House. A breach of privilege can arise only when the Member or the Minister makes a false statement or an incorrect statement wilfully, deliberately and knowingly.

On a perusal of the comments of the Ministers in the matter, I am satisfied that there has been no misleading of the House by them as alleged by the Member.

I have accordingly disallowed the notice of question of privilege. Copies of the comments of the Ministers have already been made available to Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आयोग ने नहीं कहा, इन्होंने सदन को कह कर गुमराह किया कि आयोग ने कहा।â€¦(व्यवधान) बिहार का पैसा डुबो दिया।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप जानते हैं कि एक बार रूलिंग दे दिया गया है, अब आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अगर कोई मंत्री सदन को गुमराह करता है तो वह माफी मांगता है। इन्होंने यह भी नहीं किया।â€¦(व्यवधान)